न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 43/18 **निर्णय दिनांक–17.09.2018**

1. देवकरण पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 केकएलडी 'बी' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रणवीर पुत्र दलीपराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 केएलडी 'बी' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 18–06–2018

उपस्थितः–

1. श्री वेंकट व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवला के आदेश दिनांक 18–06–2018 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 6 केएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 237/38 में 8.03 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें से किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा खाला अतिरिक्त भूमि है इस प्रकार कुल भूमि 8.05 बीघा स्थित है। अदालत मातहत द्वारा मुरब्बा नम्बर 237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष राजस्व वाद संख्या 11/2000 बउनवानी राजाराम बनाम सरकार दिनांक 15—07—2004 को निर्णित करते हुए राजाराम के पक्ष में डिक्री किया गया था उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपील निरस्त करते हुए आदेश दिनांक 15—07—2004 के आदेश को बहाल रखा गया था। उक्त स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश के संबंध में किसी प्रकार का कोई विश्लेषण/विवेचन अपने आदेश में अंकित किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। वादगत् भूमि पर मौके पर कभी कोई रास्ता चालू नहीं है। इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 15—07—2004 में स्वीकार भी किया गया है। जबकि समान न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश एकतरफा आदेश है। जोकि स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उक्त आदेश के करीब 12 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) सपठित धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1

के पुत्र देवकरण का दिनांक 09—01—2017 को उक्त रकबाराज भूमि के स्मालपेच आवंटन का प्रार्थना पत्र जैरकार है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्पष्ट है कि अदालत मातहत को इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इसी क्रम में उन्होनें बताया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश में यह भी अभिलिखित किया गया है कि रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि चक 6 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में 03—03 बिस्वा भूमि आराजीराज है तथा न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन भी दिया हुआ है। इन तमाम स्थितियों के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर कभी किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नहीं है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता चालू है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रास्ते के प्रकरणों में यह सुस्थापित विधि है कि तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान जनरल कालोनी कण्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) सहपठित धारा 251 ए आरटीए एवं सुखाधिकार अधिनियम एवं 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादगत् भूमि चक 6 केएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर

237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक मे 02—02 बिस्वा उत्तर से दक्षिण आराजीराज की जगह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर चालू करवाने के आदेश प्रदान किये जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु तमाम राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी का अवलोकन किया गया तथा संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि के बाबत् विचार विमर्श के उपरान्त संबंधित तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में प्रत्येक में 02—02 बिस्वा भूमि पर रास्ता स्वीकृत करने पर किसी प्रकार का कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त 8 (2) के अनुसरण में तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11—05—2012 के अनुसरण में सरकार एवं जनसामान्य के लिए रास्ता स्वीकृत करने के लिए भूमि उपलब्ध होने पर तथा तहसीलदार भूमिधारी को रास्ता स्वीकृत करने पर कोई एतराज नहीं किये जाने पर आदेश जैर अपील के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

जहॉ तक प्रकरण में अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि को रकबाराज धोषित कराने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15—07—2004 को वाद डिक्री किया गया है इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया चूंकि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है तथा इस आधार पर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है कि रास्ता दिया जाना जनसामान्य के लिए एवं सरकार के लिए सुविधाजनक होगा। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त व तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन, मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरओजे 2002 पेज 592, आरआरटी 2012 पेज 375, आरआरसी 2003 पेज 468, आरआरडी 1997 पेज 673 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान कॉलोनी कण्डीशन्स नियम 1955 की शर्त 8 (2) व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 6 केएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक किला में 02—02 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 6 केएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 237/38 में 8.03 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें से किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा खाला अतिरिक्त भूमि है इस प्रकार कुल भूमि 8.05 बीघा स्थित है। अदालत मातहत द्वारा मुरब्बा नम्बर 237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(3) इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाने से पूर्व राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी का अवलोकन किया गया तथा संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि की वस्तुस्थिति के संबंध में विचार विमर्श के उपरान्त संबंधित तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 237/38

के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में प्रत्येक में 02—02 बिस्वा भूमि पर रास्ता स्वीकृत करने पर किसी प्रकार का कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त 8 (2) के अनुसरण में तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11—05—2012 के अनुसरण में सरकार एवं जनसामान्य के लिए रास्ता स्वीकृत करने के लिए भूमि उपलब्ध होने पर तथा तहसीलदार भूमिधारी को रास्ता स्वीकृत करने पर कोई एतराज नहीं किये जाने पर आदेश जैर अपील के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपने आदेश में अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट के पुत्र देवकरण द्वारा दिनांक 09—01—2017 को उक्त रकबाराज भूमि के स्मालपेच आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश इस आधार पर पारित किये गये है कि उक्त रास्ता जन सामान्य एवं सरकार के लिए सुविधाजनक रहेगा तथा शेष भूमि अर्थात 01—01 बिस्वा भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु आवेदक देवकरण पुत्र राजाराम के प्रार्थना पत्र का विनिश्चत पृथक से किया जायेगा। इस प्रकार अपीलांट शेष भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु पृथक से चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में समस्त तथ्यों का खुलासा करते हुए वादगत् भूमि में से रास्ते की मांग राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन रूल्स 1955 की शर्त 8 (2) के अनुसार पूर्ण होने पर व रास्ते की जनसामान्य व सरकार की आवश्यकता को मदद्नजर वादगत् भूमि चक 6 केएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 237/38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02—02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 18—06—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर